

संपादकीय

माननीयों को कितना विशेषाधिकार

सोमवार को देश के उच्चतम न्यायालय की सात जजों की पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले से सात 1998 के नरसिंहा राव बनाम सीधीआई मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। याच जजों की पीठ ने वह फैसला 3-2-के बहुमत से दिया था। जब वह फैसला आया था, तब उसने देश के प्रबुद्ध वर्ष में एक गहरी निराशा भर दी थी। उस फैसले के अनुसार, विधायिका का कोई भी सदरय अपना वोट बेच सकता था। इसे उसका विशेषाधिकार माना गया, जिसके लिए उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता था। हाँ, उस पर मुकदमा तभी चल सकता था, जब वह पैसे लेकर पैसे देने वाले की इच्छा के अनुसार बोट न करे। जहिर है, यह एक विवित तर्क था, जहां रिश्त लेना तो माफ था, लेकिन रिश्त लेकर बैर्डमानी करने को अक्षय अपराध माना गया था। इस फैसले के बाद देश के सरसदीय लोकतंत्र में रिश्त का खेल बहुत बढ़ गया। आज स्थित यह है कि किसी भी राज्य में युनाव के बाद राजनीतिक परिणाम अपने दूसरों को भेड़-बकरी की तरह किसी रिसॉर्ट-होटल में बैद कर देती है, ताकि कोई उनकी न लगा याए। पर्टीयों को यह डर सताता है कि उनके गोबाल भी रख लिए गए। ऐसे में, सुधीमी कोटा का ताज फैसला हवा के ताज झोंके की तरह है। अब तक संविधान के 35ुच्चदे 105 (2) और 194 (2) के तहत संसदों और विधायिकाओं को सदन के अंदर कुछ फौहे और करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। जीतजनत, कई बार माननीयों द्वारा भाषण के दौरान ऐसे-ऐसे आरोप लगाये जाते रहे, जो यदि सदन के बाहर बोले जाते, तो भाषण देने वाले सांसद या विधायक पर आपराधिक अवमानना या कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा हो जाता। अब कम से कम यह साफ हो गया है कि रिश्त लेकर बोट देना विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार में नहीं आता, न ही रिश्त लेकर सराव पूछना या विशेष प्रकार का भाषण देना संविधानीय विशेषाधिकार है। इस फैसले से यह आशा की जाती है कि भारतीय लोकतंत्र में अधिक स्वतंत्रा, शुद्धिता और जिम्मेदारी से काम होगा, और जनता के प्रतिनिधि देश की पांचों को धोखा नहीं दे सकेंगे। यानी, जन-प्रतिनिधि जिस दल से चुनकर आएंगे, तीनी पार्टी की इच्छानुसार अपना बोट करेंगे। शीर्ष अदालत ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी ही संसद की की वह कानून में जरूरी बदलाव करे और विधायिका सदस्यों को मिले विशेषाधिकारों को ही खत्म कर दे। संसदों-विधायिका को यह विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए कि वे सदन में झूट बोल सकें, गलत तथ्य पैश करके किसी की छिप बिगड़ सकें, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकें अथवा किसी प्रकार की ढंग सहिता का उत्थान कर सकें। ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान में विदेशी नकल से लाए गए हैं। ब्रिटेन के “हाउस ऑफ कॉमैन्स” (संसद का नियन्त्र सदन) के विशेषाधिकारों की तर्ज पर ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इसमें भारतीय संस्कृति की मूल भवनों का उल्लंघन है।

आज का राशीफल

मेष आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उदार विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। गुह्येपयोगी वस्तुओं में बुद्धि होगी। वाहन

વાષ્પમા

उच्चाधकारी का सहयोग मिलेगा। रुपये ये से के लिए दून में सावधानी रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। समुत्तराल पक्ष से तनाव मिलेगा।

મિથુન

 म सत्रुलन बना कर रख । यात्रा दशाटन का स्थात सुखद
व लाभप्रद होगी ।

੨੮

सिंह राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पर्ति होगी। व्यवसायिक में सफलता मिलेगी। अनावश्यक व्यय से मन अशान्त रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

四

सुखद व लाभप्रद होगी। प्रियजन भेट संभव।

३

तला जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार प्राप्त होंगे। किंचित् बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। वर्थ की भागदोङ् भी रहेगी।

6

वृद्धिक व्यावसायिक योजना सफल होगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति होगी। संतुलन के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। यात्रा देशान्तर समय समय व लाभप्रद होगी।

धन्

त्रुद्ध होगा। कसार रिंदवार के करण तनाव मेल सकता है। विरोधियों का पराभव होगा। बाद विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी।

ମକ୍ର

कुम्भ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। जीवन साथी सचत रह। शासन सत्ता का स्थायाग मिलगा। अनावश्यक कठोर का सम्पन्न करना पड़ेगा।

मीन गृहोपयोगी वस्तुओं में बढ़ि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। अपने संस्कार से प्राप्त संस्कार देंगे।

— 3 —

ਫਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਪਾਰੀ ਕਾ ਵਿਹਿਤ ਬੇਅਸ਼ਾ

लोकसभा की 352 सीटें जीतकर इंदिरा गांधी ने नया लोकसभा चुनाव दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कांग्रेस असली कांग्रेस बन गई। उसके बाद के वर्षों में हिरण्याणा सहित अन्य राज्यों में दल बदल करके कई राज्य सरकारों को गिराकर नई सरकारें बनी। दल बदल करके निर्वाचित विधायिकों और सांसदों ने अपने निजी हितों के लिए सरकार को लौकिकमें करना शुरू कर दिया। तब देश में दल बदल कानून की जरूरत महसूस हुई। 1986 में दल बदल कानून लागू किया गया। दल बदल कानून में राजनीतिक दल का मतदान के पहले विहिप जारी करने का अधिकार दिया गया। कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि यदि अपने राजनीतिक दल के विहिप का उल्लंघन करेगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त करने के अधिकार विभान्नग्राम विधायक और

लोकसभा अध्यक्ष को कानून में दिए गए। इसी तरह से निवाचित विधायक यदि पार्टी बदलता है, तो उसकी सदस्यता दल बदल कानून के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। दल बदल कानून से इस बात का भी प्रवाधन किया गया, सदन में किसी भी पार्टी के एक साथ, दो तिहाई निवाचित प्रतिनिधि यदि दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। पहले यह संख्या एक तिहाई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया। एक तिहाई सदस्य यदि अलग गुट या दल बनाकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उन पर दल बादल का कानून लागू नहीं होगा। दल बदल कानून लागू होने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा मतदान के पूर्व अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए विहिषण की किया जाता है। यदि सदर्य स्विहिप का पालन नहीं करते तो उसकी सदस्यता दल

बदल कानून के तहत जा सकती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस के सदस्यों की सदस्यता विहिप नहीं मानी जाएगी कि कारण निरस्त की गई है। हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में तुरंत निर्णय लेकर 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी। यद्यपि मामला बिहार में हुआ। कांग्रेस और राजद के 3-3 विधायकों द्वारा अन्य दल के पक्ष में मतदान करके विहिप का उल्लंघन किया। कांग्रेस ने संबंधित विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता घोषित की। इस पर विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस मामले को पैटिंग में डाल दिया रखा है। इस तरह के दर्जनों द्वारा रखा रखा है। विहिप का उल्लंघन करने या अन्य पार्टी में चले जाने के बाद भी, विधानसभा के अध्यक्ष उन प्राप्तियों को कई प्रमीनी थीं और तारी

क लंबित बनाए रखे। दल बदलूँ विधायक धनसभा की कार्यवाई में भाग लेते रहे। इस शयति में दल बदल कानून निष्प्रभावी होकर गया। महाराष्ट्र विधानसभा का मामला भी म रोचक नहीं है। जिस तरह से उद्घाट ठाकरे सरकार को पिंपराया गया। दल बदल रोधी कानून के अंतर्गत मामला लंबे समय क टाला गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कनाथ शिंदे को सरकार असंवैधानिक रकार बता दिया। राज्यपाल की भूमिका को प्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना। दल बदल कानून का उपयोग सत्ताधरी दल और आसदी विधि के अनुसार करती हैं। जिसके कारण न बदल विरोधी कानून का उल्लंघन होते हुए। कोई कार्यवाई दल-बदल पर नहीं हो पाती है। इस कारण दल बदल विरोधी कानून और विधि का उल्लंघन प्राप्त तरह से मनकान बनकर

योगा है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अनुसार मतदान करने की जो वाध्यता विच प्रतिनिधियों की सदन के अंदर थी। निश्चित रूप से निवाचित प्रतिनिधि के बाट तरीके से वोट करने का अधिकार स हो गया था। यह अधिकार इसलिए न किया गया था, कि सरकारों को स्थिरता। जिस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता है। मतदाता ने उसे पार्टी के सिंबल पर दिया है। कानून का किस तरह दुरुपयोग है। समरथ को नहीं दोष गोसाई की तर्ज भासदी पर बैठा हुआ व्यक्ति, सतारूढ़ दल लेता है। वह अपनी पार्टी के हिंतों को देखते या तो तुरंत निर्णय लेता है, या उसे लंबे तक टालकर दल बदल कानून को ही अपनी बान लेता है।

छुट्टियों में लें गोआ का मजा

भारत के पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में गोवा का उल्केख मिलता है। इसे पहले गोपराष्ट्र, गोपकपुरी, गोपकपट्टन, गोअंचल, गोवे, गोवापुरी, गोपकापाटन, गोमंत, चंद्रपुर और चंद्रांद नाम से जाना जाता था। परशुराम ने बाणों की वर्षा से इसे पीछे धकेल दिया था, इसी कारण इसे वाणस्थली भी कहा जाता है। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा, वह आज का छोटा-सा समुद्र तटीय शहर गोआ-वेल्हा है। बाद में समूचे द्वीप क्षेत्र को गोआ या गोवा कहा जाने लगा। पुर्तगालियों ने यहां ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया। गोवा लगभग 500 वर्ष तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। यहां की मातृ भाषा कोंकण और मराठी है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोआ कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पुर्तगाली लोगों ने यहां के इतिहास और मूल संस्कृति का नामोनिशान मिटाकर धर्मांतरण का ही काम किया हो, ऐसा नहीं, उन्होंने यहां की प्राकृतिक और धन संपदा को लूटकर पुर्तगाल में भेज दिया।

भारतीय राज्य गोवा के तट विश्व प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर से यहां लोग छुट्टियों मनाने आते हैं। गोवा चारों ओर समुद्र से घिरा है। यहां पहुंचने के लिए मुख्यतः दो मार्ग हैं - महाराष्ट्र के मुंबई से गोवा और कर्नाटक के बेलगाम से गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है।

प्रदेश के सुनहरे लम्बे समुद्र तट, आकर्षक चर्च, मंदिर, पुराने किले और कलात्मक भवनों वेशों ने पर्यटकों को गोवा प्रमुख ऊद्योग की दिया है।

जहां, यहां संगीत, नाच-गाना, ड्रम और गिटार की धुनें शांत, स्वच्छ व मोरोंजक वातावरण प्रस्तुत करती हैं, वहां यहां का समुद्री भौजन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भरपूर मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए गोवा एक आदर्श स्थान है।

समुद्र गोवा में इनने अधिक समुद्र तट हैं कि पर्यटकों को गोवा के सभी तटों के देखने में एक महीने से भी अधिक वक्त लग जाएगा। गोवा के इन समुद्र तटों पर, आप समुद्र की लहरों पर बॉर्ट सर्फिंग, पैरासेलिंग, बॉटर रिकडिंग, स्कूटर डाइविंग, बॉटर स्कूटर आदि का लुक्कड़ उठा सकते हैं।

पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा तथा पोंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं। पणजी गोवा राज्य की राजधानी है, जहां मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यहां मांडवी नदी, जो मांडवी नदी के तट पर उत्तर उड़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है।

पणजी में बेसिनिका ऑफ बॉम जीमस चर्च और मूर्ति मंदिर, महालस्मी मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिर और चर्च हैं। यहां का पुनर्जन शहर देखने के लिए लायक है। यहां अंग्रेजों के जाने के जेल हैं, जहां स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को रखा जाता था। यहां नदी और समुद्र का संयम भी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है।

हम सभी को छुट्टियों का बहाना चाहिए। छुट्टियों का यह समुद्रपाल है। जाए तो उसका पूरा-पूरा मजा लिया जा सकता है। गोआ एक ऐसा स्थान है, जहां आप जिसी का भरपूर मजा ले सकते हैं।

यहां के लुभावने समुद्र तट व फ्रैंक लाइफ स्टाइल आपसे एक बहुत ऊँचा का संचार कर देंगे।

यदि आप उन्हें पसंद करते हैं और आपने जीवनसाथी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गुजरात स्थानों का चाहते हैं तो गोआ आपके लिए बेहतर पर्यटन स्थल सिद्ध होंगा।

तुमावने समुद्र तट

गोआ भारत का एक ऐसा राज्य है जहां अनिवार्य समुद्र तट है, जहां की स्वच्छता व उत्सुक लाइफ स्टाइल पर्यटकों को गोवा की ओर खींच लाती है। गोआ में इनने अधिक बीच में है कि पर्यटक को गोआ के सभी बीचों के देखने में एक महीने से भी अधिक का वक्त लगा जाएगा।

विदेशी सैलानियों को बहुतायत व लुभावने समुद्र तट का मस्त नजारा भारतीय पर्यटकों का भी सहजा

गोआ आने के अनिवार्य करता है।

नवविवाहितों को हीनून के भी सहजा

भी गोआ एक बढ़िया स्थान है।

गोआ के प्रमुख शहर

पणजी

पणजी गोवा की राजधानी व एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहां की संकरी गलियां और उत्तम स्थित सुन्दर चर्च पणजी को एक अलग ही खूबसूरी प्रदान करते हैं। यहां का चर्च औफ अबर लेडी डमेक्यूलेट, लागो दा इंजाजा, गोआ स्टेट म्यूजियम, जामा मस्जिद, दूधसागर फॉल, महालस्मी मंदिर और मास्ती मंदिर पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है।




मपुसा

वह गोआ का एक प्रमुख तीसरा बड़ा शहर है। शुक्रवारों के लगने वाले यहां का साताहिक बाजार पर्यटकों के लिए खरीददारों का अच्छा स्थान है। यहां का पुनर्जन मन्दिर, द चर्च औफ अबर लेडी मिरेकल, लार्ड बोधगेशवर टेंपल, टोर्डा आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

मडगांव

वह दक्षिणी गोआ का प्रमुख नगर है। यह गोआ का दूसरा बड़ा शहर तथा व्यावसायिक केंद्र है। यहां के मार्केट बहुत प्रसिद्ध हैं। यदि आप शॉपिंग के शॉकोन हैं तो मडगांव आपके लिए एक अच्छा स्थान है।



यहां के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र चर्च औफ होली स्प्रिट, हाऊस ऑफ सेवन गेवेल्स, कोल्वा बीच, एनसेस्ट्रल गोआ आदि है।

कब जाएं

गोआ जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस से मौसम में यहां बहुतायत में पर्यटक आते हैं। जून से सितंबर तक यहां बहुत अधिक वर्षा होती है इसलिए इसके मौसम में यहां पर्यटक कम होते हैं। गोआ के एतिहासिक चर्च व खूबसूरत मंदिर भी पर्यटकों को गोआ में छुट्टियों की बहुतायत के आमतिर भी करते हैं। गोआ के एतिहासिक चर्च व खूबसूरत मंदिर भी पर्यटकों को गोआ में स्थिरीय होते हैं। गोआ के एतिहासिक चर्च व खूबसूरत मंदिर भी पर्यटकों को गोआ में स्थिरीय होते हैं। गोआ के एतिहासिक चर्च व खूबसूरत मंदिर भी पर्यटकों को गोआ में स्थिरीय होते हैं।

कैसे पहुंचे

गोआ का निकटतम हवाईअड्डा डोलेलिन हवाईअड्डा है, जो गोआ से लगभग 29 किमी दूर है। गोआ के लिए लंबी मुंबई, बैंगलुरु और चेन्नई से सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। गोआ कोकण रेलवे से जुड़ा है अतः ट्रेन से भी आप आसानी से गोआ पहुंच सकते हैं। गोआ राजमार्ग द्वारा भी गोआ का सीधा संबंध मुंबई बैंगलुरु पुणे आदि शहरों से है।



